

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशना र्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 66/2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई, 2017

सा.का.नि. (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) , 1975 (1975 51)

3 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम सं. 85 के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि '50%' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम सं. 86 के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि '50%' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम सं. 87 के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि '50%' को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा.सं. 354/78/2009- टीआरयू (पार्ट)]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित

, , , 3, (i)
. 65/2017- , 8 जुलाई, 2017
. . . 850 (), 8 जुलाई, 2017